नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1996

सं. एफ. 28-5/95-एन.सी.टी.ई.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की सं. 73) की धारा 7 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 32 की उप धारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्,

1. लघु शीर्ष और प्रारम्भ

इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (परिषद् बैठकों तथा इस प्रकार की बैठकों के लिए कोरम से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 1995 होगा ।

ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो :

(क) "अधिनियम" का अर्थ है—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 की सं. 73) ।

(ख) "परिषद्" का अर्थ है—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ।

(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ है—परिषद् का अध्यक्ष ।

(घ) "उपाध्यक्ष" का अर्थ है—परिषद् का उपाध्यक्ष ।

(ङ) "सदस्य-सचिव" का अर्थ है—परिषद् का सदस्य-सचिव ।

3. परिषद् की बैठकें :

(1) अपने कार्यों के संबंध में परिषद् की उतनी बैठक होंगी जितनी आवश्यक होंगी परन्तु कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार इसकी बैठक अवश्य होगी ।

(2) सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का स्थान निर्धारित करेगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित करेगा ।

(3) जहां अध्यक्ष द्वारा सदस्य को अनुपस्थित रहने की मंजूरी लिखित में प्रदान की जाएगी उसे छोड़कर सदस्य परिषद् की सभी बैठकों में भाग लेगा तथा इस प्रकार की बैठकों के लिए रखी गई बैठक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेगा ।

4. बैठक की सूचना एवं कार्य सूची :

(1) सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को परिषद् की सभी बैठकों के संबंध में लिखित सूचना बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी ।

(2) सूचना में बैठक के स्थान, तारीख और समय का उल्लेख होगा तथा इसमें वे कार्य विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर बैठक में विचार किये जाने का प्रस्ताव होगा ।

(3) बैठक के लिए एक अलग से कार्य सूची तैयार की जाएगी तथा सूचना पत्र के साथ या उसके तत्काल बाद सभी सदस्यों को भेजी जाएगी ।

(4) अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले अन्य सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति के बगैर बैठक में ऐसे मुद्दे पर विचार नहीं किया जाएगा जिसे बैठक के कार्यवृत्त में शामिल नहीं किया गया होगा ।

5. कोरम :

(1) परिषद् की प्रत्येक बैठक में रिक्त पदों को छोड़कर कम से कम एक तिहाई सदस्यों का कोरम होगा ।

(2) यदि किसी बैठक में किसी भी कारणवश कोरम पूरा नहीं हो तो 30 मिनट तक इन्तजार करने के बाद अध्यक्षता करने वाला सदस्य बैठक को उसी दिन उतने घंटे या अगले दिन किसी दूसरे दिन के लिए स्थगित कर देगा जिसे वह उपयुक्त समझे तथा उपस्थित सदस्यों को इस प्रकार के स्थगन की सूचना दी जाएगी तथा परिषद् के सूचना पट्ट में भी इसे लगाया जाएगा तथा कोरम पूरा होने की स्थिति में जिन मुद्दों पर मूल बैठक में विचार होगा उन्हें स्थगित बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा तथा कोरम के बगैर भी उन्हें निपटाया जा सकता है ।

6. आपात बैठकें :

(क) अध्यक्ष किसी भी समय अपने विवेक पर सूचना की अवधि कम करते हुए ऐसे किसी तात्कालिक मामले पर विचार करने के लिए परिषद् की आपात बैठक बुला सकता है जिस पर इसका ध्यान देना जरूरी हो ।

(ख) यदि अध्यक्ष को कम से कम सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में एक ऐसा मांग पत्र प्राप्त हो जिसमें उस प्रयोजन का उल्लेख हो जिसके लिए वे बैठक बुलाना चाहते हैं तो वह अपने विवेक पर तात्कालिकता की गुणवत्ता के आधार पर आपात बैठक बुलाएगा ।

7. बैठक के कार्यवृत्त :

(1) परिषद् की प्रत्येक बैठक के ठीक बाद सदस्य सचिव बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा तथा उसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले दूसरे सदस्य (जैसी भी स्थिति हो) को अगला आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त परिषद् के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणी (यदि कोई हो) के लिए परिचालित किया जाएगा ।

(2) विनियम के उप विनियम (1) के अंतर्गत परिचालित कार्यवृत्त पुष्टि के लिए परिषद् के सम्मुख रखा जाएगा तथा परिषद् इसमें ऐसे संशोधन (यदि कोई हो) भी कर सकती है । जिसे वह उपयुक्त समझे । इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त पर अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा यह संदर्भ और रिकार्ड के लिए रखी जाने वाली कम्प्यूटर मिसिलो व रजिस्टर का अंग होगा ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्